

हुक्म

12⁰⁴/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकील वकील उप.। उतिवकील
उप./मुद्रितता पीठासीन अधिकारी-ने
/अन्व कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम
कार्यवाही हेतु दिनांक. 18/04/19
को पेश की।

18⁰⁴/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकील वकील उप.। उतिवकील
उ नी तामील पूर्व में सम्मेलन रूप से होकर लौटे हैं।
बावजूद सम्मेलन तामील उक्त उतिवकील की ओर से
कोई हाजिर अदालत नहीं आया है। अतः उतिवकील
सं. उ के विरुद्ध एक फौजि कार्यवाही अदालत में
लाई जाती है। वकील वकील ने हाजिर होकर
मुताबिक राजीनामा दावा डिफेंस का माया जाने
का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध
राजस्व रिकॉर्ड, पैराशुदा राजीनामा एवं पत्रावली
में संलग्न बसियत लेख का अवलोकन किया
गया जिनके अवलोकन से वकील का दावा
स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर
व्यापार में स्वीकार किया जाता है तथा
घोषणा इस आशय की जारी की जाती
है कि :-

आदेश

तब ज्ञात हमीयुक्त जगों परवार हलका
सुजाना तहसील खण्डेला अवास्थित कृषि भूमि
ख. नं. 487 ता 483, 494, 497 ता 502, 504
ता 510, 512 ता 514 कबा 13.37 हे. में

तारीख हुकम



प्रतिवादी सं० 1 व 2 के दल हिस्सा 1/2 से
 प्रतिवादी सं० 1 व 2 का नाम हफ किया
 जाकर उसके स्थान पर वादी को उक्त हिस्सा
 1/2 का स्वतंत्र काशतकार घोषित किया
 जाता है। तहसीलदार को उक्त 1/2 हिस्सा
 का नियमानुसार जमा योग्य Stamp शुल्क
 राजकोष में जमा लिया जाकर, उक्तानुसार
 राजस्व रेकार्ड में अमल दायर किया जाना
 सुनिश्चित करें। तदनुसार पचा डिक्ली जारी
 करें। फाकरी फैसल शुमार होकर नम्बर
 से कम हो तथा काय तन्मूलक शामिल दफ्तर
 हों। शेषी खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/04/2019

(महीपाल सिंह) RAS
 सहायक कलेक्टर
 (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

डिक्री मुकद्दमा इवतदाइ

अंतिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाक्ता दीवानों)

अज अदालत सहामण कलक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम खण्डेला
 व इजलास श्री महेपाल सिंह

दावा बाबत सुण्डातम वनाम श्री माली निवेद्याह
 इतिहास हस्तकाल हक स्व स्वामी

मुकद्दमा नं. 91 रात 2018

यह मुकद्दमा आज वारते इनफिसाल कतई रूपरु श्री महेपाल सिंह
 व हाजिरी श्री रामवारा विजारीषियां गिनजानिव मुद्दह रूपरु श्री नवनीत प्रकाश
शर्मा गिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

तन ग्राम हमीरपुर कलां पटवार हल्का सुजाना तहसील खण्डेला अवस्थित
 कृषि भूमि ख.नं. 487 ता 489, 494, 497 ता 502, 504 ता 510, 512 ता 514
कलां 13.37 हे. में प्रतिवादीया सं. 1 व 2 के दर्ज हिस्सा 1/12 से प्रतिवादीया
सं. 1 व 2 का नाम हल्का किया जाकर उसके स्वाम पर वारी क्री उक्त

निज मुबलिय बाबत
 खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद नशरह फीसदी गवाहाना आज की तारीख
 तारीख अदायागी तक का अदा करे।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 04 रात 2019

डिक्री की गई।
 मुहर



दस्तखत
(महेपाल सिंह) RAS
 सहायक कलक्टर

| मुद्दई | रुपये | पैसे | मुद्दायलह (फास्ट ट्रैक) रूपये | ध |
|---------------------|-------|------|-------------------------------|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | |
| स्टाम्प वकालत नामा | | | स्टाम्प अर्जी | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुकमनामा | |
| बाबत इजराय हुकमनामा | | | मुतफरिक | |
| मुतफरिक | | | | |
| मीजान | | | मीजान | |

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना

* पुत्र कर्जोडमल जाति जाट निवासी दाणी कल्लुवाली तन ग्राम हमीरपुर कलां ग्राम पंचायत सुजाना तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)

वित्त

— वादी


* पुत्री कर्जोडमल

② शादा पुत्री कर्जोड.

जाति जाट निवासी दाणी कल्लुवाली तन ग्राम हमीरपुर कलां ग्राम पंचायत सुजाना तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)

③ भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर (राज.)

— प्रतिवादीगण



* हिस्सा 1/2 का खातदार काबतका घोषित किया जाता है। तहसीलदार खण्डेला उक्त 1/2 हिस्सा का नियमानुसार जमा योग्य ^{हकन्याय} A Stamp शुल्क राजकोष में जमा लिया जाकर, उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दायमद किया जाता सुनिश्चित करें।

18/04/2019
(महोपाल सिंह) RAS
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला